अज अदालत सहायक कलेक्टर (CS-907) सिरोही राज०

भंवरसिंह

बनाम स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही

किस्म मुकदमा राजस्व वाद अन्तर्गत 48 राज० काश्त० अधि० 1955 राजस्व वाद सं. 47/2018

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	11-6-19 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रतिवादी स्टेट की ओर से बैरोकर सरकार उप/पै. रोकर स्टेट तह० सिरोही जवाब पेश करने हेतु समय चाहते हैं। अधिवक्ता को समय दिया जाता है। पत्रावली जवाब दावा हेतु दिनांक 21-8-19 को पेश हो।	
	22-7-2019 यह पत्रावली प्रार्थी तथा प्रार्थी के वकील श्री पदमाराम के निवेदन पर यह पत्रावली मंगाने पर मेरे समक्ष पेश हुई। प्रार्थी ने पत्रावली पर यह रिपोर्ट की है कि प्रार्थी इस वाद को चलाना नहीं चाहता है इसलिये नोटरी के जरिये विड्रो कर रहा है। प्रार्थी की पहचान वकील श्री पदमाराम ने की है। अतः 22-7-2019 विचाराधीन यह राजस्व वाद अन्तर्गत 48 R.T.Act का विपक्षी स्टेट तह० सिरोही प्रार्थी द्वारा कायम नहीं चलाने हेतु जरिये विड्रो कर लेने से चलने योग्य नहीं होने तथा खारिज योग्य होने से जरिये विड्रो खारिज किया जाता है। पत्रावली में स्टाम्प होल्डर नंबर से कम है। इसलिये सरेन्डर सुपुर्द हो।	

प्रार्थी इकबाल वाड कोयलाना नहीं चाहता है इसलिये नोटरी के जरिये विड्रो कर रहा है

पहचानकर्ता

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)